धारा 118 : उच्चतम न्यायालय को अपील

(1) उच्चतम न्यायालय में,–

(क) [1][अपील अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ] द्वारा पारित किसी आदेश कं विरूद्ध कोई अपील की जाएगी; या

(ख) किसी मामले में धारा 117 के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरूद्ध कोई अपील की जाएगी, जो उसके स्वयं के विवेक पर या व्यथित पक्षकार द्वारा या उसके निमित्त किए गए आवेदन पर, निर्णय या आदेश के पारित होने के तुरंत बाद की जाएगी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए वह एक उचित मामला है।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अपील करने से संबंधित हैं, जहां तक संभव हो, इस धारा के अधीन अपील के मामलों में उस तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिक्री की अपीलों के मामलों में लागू होते हैं।

(3) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में बदल या उलट दिया जाता है, वहां उच्चतम न्यायालय के आदेश को उस रीति में प्रभावी किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय के निर्णय के मामले में धारा 117 में यथा उपबंधित है।

---

1 वित अधिनियम, 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा शब्दों ''राष्ट्रीय न्यायपीठ या अपील अधिकरण की प्रादेशिक न्यायपीठों'' के स्थान पर प्रतिस्थपित। प्रभावशील दिनांक 01.08.2023।